राजस्थान सरकार
इन्दिरा गांधी नहर विभाग

क्रमांक एफ3(15)/इगानवि/भूअ/2019 दिनांक 3 MAR 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोलायत लिफ्ट **नहर के लिये निर्मित नहर देवडा वितरिका किमी.** 10.720 से 34.00 तक भूमि अवाप्ति किया जाना **आवश्यक है । यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित क्षेत्र की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता** है।

अतः यह अधिसूचना भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन को उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 व 12 के प्रावधान अनुसार उन सब हितधारियों के निमित्त जारी की जाती है, जिससे इसका संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को जिनका इससे संबंध है को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिको सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गए है। कोई हितधारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की भूमि को अवाप्त करने के संबंध में कोई आपति हो तो उक्त अधिसूचना के प्रकाशन होने के 60 दिन के अंदर-अंदर आपति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी इगानप बीकानेर को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न सूची

आज्ञा से

ह०/-

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप शासन सचिव
इन्दिरा गांधी नहर विभाग
जयपुर।

क्रमांक एफ3(15)/इगानवि/भूअ/2019

दिनांक 3 MAR 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता इंदिरा गाधी नहर परियोजना बीकानेर ।

2 श्रीमान् आयुक्त उपनिवेशन इगानप बीकानेर ।

3 निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर उसकी एक उद्धरण प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

4 जिला कलेक्टर बीकानेर।

5 अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय चरण वृत प्रथम इगानप बीकानेर ।

6 अधिशाषी अभियन्ता कोलायत लिफ्ट खंड इगानप बीकानेर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है।

(क) इस अधिसूचना को जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से दो स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करे।

(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु ।

7 भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गाधी नहर परियोजना बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8 उपखंड अधिकारी कोलायत/बीकानेर ।

9 उपायुक्त उपनिवेशन इगानप बीकानेर।

10 तहसीलदार (भू.अ.)मु.कोलायत जिला बीकानेर ।

11 ग्राम विकास अधिकारी मंडाल चारनान/गडियाला त0 कोलायत जिला बीकानेर

12 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बीठनोक तह0कोलायत जिला बीकानेर ।

13. प्रकोष्ठ-6, इगानम, जयपुर को उक्त अधिसूचना (घोषणा) को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

14. श्री पवन कुमार यादव वरिष्ठ सहायक, इगानम, जयपुर को गजट नोटिफिकेसन को तुरन्त ऑन लाईन करने हेतु।

15. रक्षा पत्रावली।

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप शासन सचिव
इन्दिरा गांधी नहर विभाग
जयपुर।